बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना—800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30.12.2024

अ.सं.—संब.—6144 / 2024—1712 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक—24.12.2024 को गैर—सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर—सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र—2024—25 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Nutan College of Nursing, Vill-Dhanhara, P.O-Manik Chowk, P.S-Runni Saidpur, Distt.-Sitamarhi 843323	Sitamarhi	M.Sc. Nursing	60 (Medical Surgical Nursing-20, Obst. & Gynae Midwifery-15, Paediatric Nursing-10, Psychiatry Nursing-5, Community Health Nursing-10)

नियम एवं शर्तें:—

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नही लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित महाविद्यालयों / संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
6. संबंधित महाविद्यालय / संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र—छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात / शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
7. विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body / बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय / संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
8. महाविद्यालय / संस्थान बिहार सरकार / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body के नियमों / विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

EGE OF NURSING Sitamarhi

Suman